

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार माण्डल

निर्णय

प्रकरण संख्या 129/18

दिनांक: 24-12-18

सरकार बजरिये पटवारी हल्का

अनवान

बनाम श्री

श्री कदका जोशी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956


संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कवरापिप ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि श्री श्री कदका जोशी जाति जोशी निवासी कवरापिप ने ग्राम कवरापिप में स्थित आराजी नम्बर 1133, 1129 रकबा 3 है, पर दौराने सम्वत् 2021 खरीफ/रबी में अनाधिकृत रूप से फसल कपास, चरी, काशत/कब्जा कर अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91 (3) LR ACT में जारी किया। जो विधिवत तामील करवाया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी उपस्थित जिसने हस्ब रिपोर्ट पटवारी हल्का स्वीकार किया/अनुपस्थित जिससे अतिक्रमी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही में अमल में लाई जाती है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से अतिक्रमी स्थल का अतिक्रमी के नाम नियमन होना नहीं पाया जाता है एवं उक्त आराजी से अतिक्रमी को ग्राम कवरापिप स्थित चारागाह/बिलानाम आराजी नम्बर 1133, 1129 रकबा 3.00 है, से तुरन्त बेदखल किया जाता है, फसल तहवील सरकार ली जाकर निलाम करने एवं शास्ती लगानी 1.35 की 50 गुणा से 68 रुपये अधिरोपित कर वसूल करने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ पटवारी हल्का एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे।

पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।


तहसीलदार माण्डल
तहसीलदार-माण्डल
जिला बीलवाकर